न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 76/2019

1. छैलबिहारी
2. रामनिवास

} पिसरान रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कस्बा बयाना जिला भरतपुर।

अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 25.09.2019 तहसीलदार बयाना। पत्रावली संख्या 40/19 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री मोहिन सिंह राणा, अभिभाषक अपीलान्टान

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 31.12.2020

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 25.09.2019 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्टान अतिकमी को आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 0.44 है0 से बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं वकील अपीलान्टान ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दाहेराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का बयाना की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टान का आराजी खसरा नम्बर 1324/0.44 के 45 वर्ग मीटर पर निर्माण कर अतिक्रमी मानते हुये दिनांक 25.09.2019 को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1324 को सिवायचक मानते हुये धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही अपीलान्टान के विरूद्ध की गई है जबकि खसरा नम्बर 1324 सिवायचक न होकर मंदिर श्री बामडा जी महाराज की खातेदारी का रकवा है जिसकी मिस्म भी बारानी 3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व उक्त आराजी की देखभाल हेतु रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना हुआ है जिसका पंजीयन देवस्थान विभाग में किया हुआ है। मंदिर की जमीन पर धारा '91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही देवस्थान के प्रार्थना पत्र पर अथवा उसे नोटस दिया जाकर ही की जा सकी है। तहसीलदार सोमोटो धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही नहीं कर सकता। उक्त प्रकरण में न तो कोई प्रार्थना पत्र देवस्थान विभाग द्वारा तहसीलदार बयाना दिया गया और न ही कोई नोटिस तहसीलदार बयाना द्वारा देवस्थान विभाग को दिया गया। कानूनन उक्त प्रकिया को अपनाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 91 एल.आर.एक्ट का संयुक्त नोटिस अपीलान्टान को जारी किया गया है जबकि प्रत्येक अतिक्रमी को अलग–अलग नोटिस दिया जाना आवश्यक था। संयुक्त नोटिस इल्लीगल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। न्यायिक सिद्वान्तो की कोई अनुपालना नहीं की गई है। कानूनन पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। जहां सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हो वहां धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही नल एण्ड वॉइड है। योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को के समर्थना में आर.आर.डी. 2004 पेज 721, आर.आर.डी. 1993 पेज 185, आर.आर.डी. 1982 पेज 151 (बी), आर.आर.डी. 1984 पेज 283, आर.आर.डी. 1989 पेज 169, 665, आर.आर.डी. 1986 पेज 544, आर.आर.डी. 1990 पेज 351, आर.आर.डी. 2005 पेज 221, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 562 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में फैरीकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत रूलिंग का अध्ययन किया गया। विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 में आराजी खसरा नम्बर 1324 बारानी मंदिर श्री बामड़ा जी महाराज के नाम दर्ज है। मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि पर तहसीलदार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सकता है। यदि मंदिर मूर्ति की कृषि आराजी पर स्वरूप में परिवर्तन की कोई स्थिति हो तो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 183 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर के समक्ष बाद प्रस्तुत कर कार्यवाही कर सकता है। अस्तु अपील अपीलान्टान काबिल स्वीकार के रहती है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्टान स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2019 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दि 31.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीना माहावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)